भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 39

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024

39. श्री राहुल कस्वां:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 **(**अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान) के अनुसार, 2022 में युवाओं की आर्थिक भागीदारी घटकर 37 प्रतिशत रह गई है और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) (मई 2025**)** के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत है और यदि हाँ, तो राजस्थान में जिलावार सहित अद्यतन ग्रामीण-शहरी बेरोजगारी दर सहित देश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या राजस्थान में वर्ष 2020, 2022 और 2025 के लिए बेरोजगारी 15-24, 25-34 और 35+ वर्ष आयु समूह के अनुसार भिन्न-भिन्न है, और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर कोविड-19, जीएसटी और विमुद्रीकरण जैसे आर्थिक आघातों के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस), ई-श्रम और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) जैसी योजनाओं के तहत वर्ष 2020 से आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और चूरू से कितना नामांकन हुआ है; और

(ङ) देश में उच्च-बेरोजगारी वाले जिलों के लिए लक्षित रोजगार पहलों का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ)**:** भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार/बेरोजगारी के संकेतक का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है जो [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण के रुझान, 2024 के अनुसार] युवाओं की 13.3 प्रतिशत की वैश्विक बेरोजगारी दर से कम है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य के लिए 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर वर्ष 2020-21 में 13.4% से घटकर वर्ष 2023-24 में 12.4% हो गई है।

इसके अलावा, एमओएसपीआई ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस को नया रूप दिया है। मासिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) मई 2025 के महीने में क्रमशः 5.1% और 6.9% थी।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 50.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 67.0% हो गया है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों/उपायों के माध्यम से रोजगार में वृद्धि को दर्शाता है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) के तहत, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, 210.88 करोड़ रुपये की राशि के व्यय के साथ कुल 375.39 करोड़ रुपये (30 जून, 2025 तक) आवंटित किए गए हैं। राजस्थान के चुरू जिले में 89,437 नौकरी चाहने वालों का पंजीकरण हुआ है।

ई-श्रम के तहत, 15 जुलाई, 2025 तक, देश में 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और राजस्थान के चुरू जिले में पंजीकरण की कुल संख्या 427282 है।

ई-श्रम योजना के तहत कुल 1176.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और 479.38 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के अंतर्गत, 14 जुलाई, 2025 तक, कुल 1478.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें 1308.47 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। इस योजना के तहत राजस्थान के चुरू जिले में 458 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को समर्थन देने, सभी क्षेत्रों में नियोजनीयता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है।

*****